

प्रेस नोट(पश्चिम जोन)

दिनाँक – जुलाई 18, 2024

उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन किन्वक्शन के तहत पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) श्री विजय ढुल के निर्देशन में पूर्व से चिन्हित वाद, गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अपराध नियंत्रण के क्रम में थाना बिठूर पर पंजीकृत मु0अ0स0 82/2020 एसटी नं0 903/2020 धारा 498ए/304बी/313/323/506 भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मयंक पाण्डेय पुत्र स्व0 चन्द्र नारायण पाण्डेय नि0 बैकुण्ठपुर थाना बिठूर को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 27 कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त मुकदमें मे दोषसिद्ध होने पर धारा 304बी भा0द0वि0 में दोषी पाये जाने पर 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 3/4 डीपी एक्ट में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया है। अर्थदण्ड अदा न कर पाने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरक्त कारावास भुगतना होगा।

इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस उपायुक्त पश्चिम द्वारा पैरवी टीम को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार (प्रत्येक अराजपत्रित अधिकारी <mark>को 2500 रुपये</mark>) प्रदान किया जा रहा है।

"ऑपरेशन कन्विक्शन"



थाना बिठूर पर पंजीकृत मु०अ०स० 82/2020 एसटी नं० 903/2020 धारा ४९८ए/३०४बी/३१३/३२३/५०६ भा०द०वि० व ३/४ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मयंक पाण्डेय पुत्र स्व० चन्द्र नारायण पाण्डेय नि० बैंकुण्ठपुर थाना बिठूर को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या २७ कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त मुकदमें मे दोषसिद्ध होने पर धारा ३०४बी भा०द०वि० में दोषी पाये जाने पर ७ वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा ३/४ डीपी एक्ट में १ वर्ष के सश्रम कारावास व ५ हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर

पैरवी टीम:-

- 1. श्री दिनेश अग्रवाल (अभियोजक)
- 2. हे0का0 सुरेन्द्र पाल सिंह (कोर्ट मोहर्रर)
- 3. हे0का0 सुनील कुमार यादव (पैरोकार)